

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- २०१ / १२-१ दिनांक, पौड़ी, जुलाई, १३, २०१७.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

**विषय—** प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग—नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ—** प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर का पत्रांक 5868/12-1 दिनांक 27.06.2017

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं—

Question	Answer
भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित GIS Software द्वारा निर्मित Geo referenced digital map पर प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude दर्शा कर Part I के बिन्दु सं० C(iv) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न: १— जीयोरेफरेन्स मैप (मूल कापी का पेज नं० 17)
डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित Part I के बिन्दु सं० D(a) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न २— डिजिटल मैप (मूल कापी का पेज नं० 16)
मार्ग जहां से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	मार्ग कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग के किमी० 25 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसे मानचित्र में बैगनी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न ३— स्वीकृति का पत्र (मूल कापी का पेज नं० 10-11)
लो०नि०वि० गौचार के पत्रांक 207/१सी० दिनांक 01.03.2017 के द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति खुले प्रपत्रों में प्रेषित कर दी गयी है। प्रस्ताव को बाईडिंग कराकर प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव की मूल कॉपी बाईडिंग कर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न— हार्डकापी
प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न करें एवं प्रपत्रों को क्रमवार लगाकर विषय सूची में पेज संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।	विषय सूची संलग्न कर पेज संख्या अंकित कर दी गयी है।
लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के निर्देशानुसार मात्रात्मक रूप में भरकर संलग्न करें।	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से Part I के बिन्दु सं० G(i) ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न ४— लागत लाभ विश्लेषण (मूल कापी का पेज नं० 34-36)
प्रस्ताव में मक डिस्पोजल किस भूमि पर प्रस्तावित है उस भूमि के नाम का उल्लेख करें।	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल ०.400 है० आरक्षित भूमि, ०.50 है० वन पंचायत भूमि एवं ०.050 है० सिविल भूमि में प्रस्तावित कर Additional information के क्रम सं० 16 में अपलोड किया गया है। संलग्न ५— Muck Disposal Scheme (मूल कापी का पेज नं० 87-100)

(2)

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र -1 में दिनांक की सूचना एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-2 में सभी बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से भरी जाये।	प्रपत्र-1 में दिनांक अंकित कर एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दिनांक अंकित कर सूचना पूर्ण कर प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी है।
वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र-3 भी भरवाकर संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
प्रभागीय वनाधिकारी की S.I.R. में दिनांक की सूचना रिक्त है।	S.I.R में दिनांक अंकित कर पार्ट ॥ के बिन्दु सं0 15 में अपलोड कर दिया गया है व हार्ड कापी के साथ संलग्न किया जा रहा है।
लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण पत्र में मात्र वन पंचायत भूमि हस्तान्तरण का उल्लेख किया गया है। अतः सही सूचना भरें।	लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण पत्र में वन पंचायत/सिविल/आरक्षित वन भूमि का उल्लेख Additional information के क्रम सं0 03 में अपलोड किया गया है। संलग्न 6- लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेंज न0 25)
बांज के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक के सहमति का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। अतः सही सूचना का उल्लेख किया जाय।	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक के सहमति का उल्लेख त्रुटिवंश अंकित कर दिया गया था। जिसे संशोधित कर Part । के बिन्दु सं0 D(i) अपलोड कर दिया गया है।
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर पार्ट । के Additional information के क्रम सं0 4 में अपलोड कर दिया गया है व पार्ट ॥ के बिन्दु सं0 13 (Vii) में अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी में भी संलग्न किया जा रहा है। संलग्न 8-क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (मूल कापी का पेंज नं0 69-70)
प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 का आंकलन पुनः आंकलित कर संलग्न किया जाय।	एन0पी0वी0 का आंकलन पुनः आंकलित कर पार्ट । के Additional information के क्रम सं0 5 में अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी में भी संलग्न किया जा रहा है। संलग्न 9-एन0पी0वी0 (मूल कापी का पेंज न0 101)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप सहित .Shp File में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप सहित .Shp file को DSS Software से मिलान कर दिया है। संलग्न 10-.shp file CD

संलग्नक:-

उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(जी0के0रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वन्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11  
 पत्रांक 5868 / 12-1 ,  
 दिनांक, गोपेश्वर, जून  
 1/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,  
 गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,  
 पौड़ी।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग—नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।  
 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 3285/FP/UK/Road/12845/2015 दिनांक 03.04.2017

संदर्भ:-

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्र सं0 777/1सी0(वन) दिनांक 13.06.2017 से उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर प्रपत्रों को प्रस्ताव में संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है :—

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित GIS Software द्वारा निर्मित Geo referenced digital map पर प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude दर्शा कर Part I के बिन्दु सं0 C(iv) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1— जीयोरेफरेन्स नेप (मूल कापी का पेज नं0 17)
2.	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित Part I के बिन्दु सं0 D(a) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 2— डिजिटल मैप (मूल कापी का पेज नं0 16)
3.	मार्ग जहाँ से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	मार्ग कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग के किमी0 25 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसे मानचित्र में बैगनी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न 3— स्वीकृति का पत्र (मूल कापी का पेज नं0 10-11)
4.	लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 207/1सी0 दिनांक 01.03.2017 के द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति खुले प्रपत्रों में प्रेषित कर दी गयी है। प्रस्ताव को बाईडिंग कराकर प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव की मूल कापी बाईडिंग कर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न— हार्डकापी
5.	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न करें एवं प्रपत्रों को क्रमवार लगाकर विषय सूची में पेज संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।	विषय सूची संलग्न कर पेज संख्या अंकित कर दी गयी है।
6.	लागत लाभ विशेषण भारत सरकार के निर्देशानुसार मात्रात्मक रूप में भरकर संलग्न करें।	लागत लाभ विशेषण मात्रात्मक रूप से Part I के बिन्दु सं0 G(i) ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 4— लागत लाभ विशेषण (मूल कापी का पेज नं0 34-36)
7.	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल किस भूमि पर प्रस्तावित है उस भूमि के नाम का उल्लेख करें।	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल 0.400 है0 आरक्षित भूमि, 0.50 है0 वन पंचायत भूमि एवं 0.050 है0 सिविल भूमि में प्रस्तावित कर Additional information के क्रम सं0 16 में अपलोड किया गया है। संलग्न 5— Muck Disposal Scheme (मूल कापी का पेज नं0 07)

8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र -1 में दिनांक की सूचना एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-2 में सभी बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से भरी जाये।	प्रपत्र-1 में दिनांक अंकित कर एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दिनांक अंकित दर सूचना पूर्ण कर प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी है।
9.	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र-3 भी भरवाकर संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
10.	प्रभागीय वनाधिकारी की S.I.R. में दिनांक की सूचना रिक्त है।	S.I.R में दिनांक अंकित कर पार्ट II के बिन्दु सं 15 में अपलोड कर दिया गया है व हार्ड कापी के साथ संलग्न किया जा रहा है।
11.	लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण पत्र में मात्र वन पंचायत भूमि हस्तान्तरण का उल्लेख किया गया है। अतः सही सूचना भरें।	लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण पत्र में वन पंचायत/सिविल/आरक्षित वन भूमि का उल्लेख Additional information के क्रम सं 03 में अपलोड किया गया है। संलग्न 6- लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज नं 0 25)
12.	बांज. के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की रथत निरीक्षण आव्यास संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
13.	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक के सहमति का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। अतः सही सूचना का उल्लेख किया जाय।	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक के सहमति का उल्लेख त्रुटिवंश अंकित कर दिया गया था। जिसे संशोधित कर Part I के बिन्दु सं 0 D(i) अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 7- वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज नं 0 18-19)
14.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर पार्ट I के Additional information के क्रम सं 0 4 में अपलोड कर दिया गया है व पार्ट II के बिन्दु सं 0 13 (Vii) में अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी में भी संलग्न किया जा रहा है। संलग्न 8- क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (मूल कापी का पेज नं 0 69-70)
15.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन०पी०वी० का आंकलन पुनः आंकलित कर संलग्न किया जाय।	एन०पी०वी० का आंकलन पुनः आंकलित कर पार्ट I के Additional information के क्रम सं 0 5 में अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी में भी संलग्न किया जा रहा है। संलग्न 9- एन०पी०वी० (मूल कापी का पेज नं 0 101)
16.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी०ओ० रिफरेन्स मैप सहित .Shp File में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी०ओ० रिफरेन्स मैप सहित .Shp file को DSS Software से मिलान कर दिया है। संलग्न 10- .shp file CD

अतः आपको उपरोक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने रत्न से प्रपत्र हार्ड कॉपी में संलग्न कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्द्रिरानगर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रधानमंत्री हार्ड कॉपी

पत्रांक:-

प्रतिलिपि:- अधिकारी अभियन्ता, अरथाई खण्ड विभाग, गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांकित;

(एन०एन०पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(एन०एन०पाण्डेय)